

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-18/2020 (2020/00031) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भगवतीलाल आत्मज लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कन्हैयालाल आत्मज लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कैलाश आत्मज लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुमन पुत्री लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जमनाबाई बेवा लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकरलाल आत्मज हजारी ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा आत्मज हेमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शंकर आत्मज हेमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भगवान आत्मज हेमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. छीतर आत्मज धन्ना गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नारायण आत्मज मांगीलाल गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रामलाल आत्मज मांगीलाल गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मन्दरूप आत्मज छोगा गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. डालचन्द आत्मज छोगा गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गोपीलाल आत्मज छोगा गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रामा मु० केशा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. माधु आत्मज गंगाराम लुहार निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सुरेश आत्मज लादु बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. सांवरमल आत्मज परसराम बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. रोशनलाल आत्मज परसराम नाबा० जरिये माता रामी बैरवा नि० केसरपुरा त. रायपुर
16. राजमल आत्मज परसराम नाबा० जरिये माता रामी बैरवा नि० केसरपुरा त. रायपुर
17. रामी बेवा परसराम बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

निर्णय

दिनांक 22.07.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है
ग्राम बकाण तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी
अधिकारी की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1937/1113 रकबा 1.08 हैक्ट., भूमि
राजस्व खाता संख्या 309 पर स्थित है। इसी तरह से ग्राम राणास के बेरुन हल्का आबादी
में प्रार्थीगणों आराजी संख्या 1050 रकबा 0.65 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 180 पर स्थित
हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के
साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील
निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि

काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 13.12.2019 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 24.02.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 17 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1937/11113 रकबा 1.08 हैक्ट., भूमि राजस्व खाता संख्या 309 पर स्थित है। इसी तरह से ग्राम राणास के बैरुन हल्का आबादी मे प्राथीगणो आराजी संख्या 1050 रकबा 0.65 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 180 पर स्थित हैं। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी अधिकारी
सहायक कलेक्टर
रायपुर जिला मन्सीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—18/2020 (2020/00031) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. भगवतीलाल आत्मज लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कन्हैयालाल आत्मज लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कैलाश आत्मज लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सुमन पुत्री लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. जमनाबाई बेवा लक्ष्मण ढोली निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकरलाल आत्मज हजारी ढोली निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रामा आत्मज हेमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शंकर आत्मज हेमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. भगवान आत्मज हेमा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. छीतर आत्मज धन्ना गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. नारायण आत्मज मांगीलाल गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. रामलाल आत्मज मांगीलाल गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मन्दरूप आत्मज छोगा गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. डालचन्द आत्मज छोगा गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. गोपीलाल आत्मज छोगा गुर्जर निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. रामा मु० केशा भील निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. माधु आत्मज गंगाराम लुहार निवासी बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. सुरेश आत्मज लादु बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. सांवरमल आत्मज परसराम बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. रोशनलाल आत्मज परसराम नाबा० जरिये माता रामी बैरवा नि० केसरपुरा त. रायपुर
16. राजमल आत्मज परसराम नाबा० जरिये माता रामी बैरवा नि० केसरपुरा त. रायपुर
17. रामी बेवा परसराम बैरवा निवासी केसरपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक




22.07.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम बकाण तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1937/1113 रकबा 1.08 हैक्ट., भूमि राजस्व खाता संख्या 309 पर स्थित है। इसी तरह से ग्राम राणास के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगणों आराजी संख्या 1050 रकबा 0.65 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 180 पर स्थित हैं।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 100/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 300/-रूपये सम्बन्धित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।




(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक सहायक अधिकारी
रायपुर जिला (भीलवाड़ा) अधिकारी

